संख्या: 39/2019/484/छप्पन-2019-100/2013

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 22 मार्च, 2019

विषय: जनपद बरेली में निर्माणाधीन सिविल एनक्लेव के पानी की बाहरी निकासी (External Drainage) ओपन चैनल के माध्यम से किए जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, नागरिक उड्डयन के पत्र संख्याः 646/ना0उ0नि0/2019 दिनांक 21 फरवरी, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें बरेली में निर्माणाधीन सिविल एनक्लेव के पानी की बाहरी निकासी (External Drainage) ओपन चैनल के माध्यम से किए जाने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम, बरेली द्वारा तैयार तथा जिलाधिकारी, बरेली द्वारा निदेशक, नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराए गए आगणन की धनराशि रू0 2,35,17,000/- (रूपए दो करोड़ पैंतीस लाख सत्रह हजार मात्र) की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है |

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल बरेली में निर्माणाधीन सिविल एनक्लेव के पानी की बाहरी निकासी (External Drainage) ओपन चैनल के माध्यम से किए जाने हेतु उपलब्ध कराए गए आगणन की धनराशि रू0 2,35,17,000/- (रूपए दो करोड़ पैंतीस लाख सत्रह हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस परियोजना पर रू0 2,35,17,000/- (रूपए दो करोड़ पैंतीस लाख सत्रह हजार मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

I. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा |

II. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है |

III. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा |

http://shasanadesh.up.nic.in

IV. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/ बैंक खाते आदि में नहीं रखा जाएगा।

V. किसी कार्य का आगणन रूपए 5.00 करोड़ से कम होने पर प्रयोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आगणन का परीक्षण नहीं किया जाता है और रु0 5.00 करोड़ तक आगणन पर अधिकार प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित है | नागरिक उड्डयन विभाग में उक्त प्रस्तुत आगणन का परीक्षण करने की तकनीकी दक्षता उपलब्ध नहीं है | अत: शासन द्वारा आगणन का तकनीकी और मात्रात्मक दृष्टि से परीक्षण नहीं किया गया है | कार्यदायी संस्था, निदेशक व जिलाधिकारी द्वारा उक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत औचित्य सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार प्रश्नगत कार्य कराया जाएगा |

VI. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/ कास्ट ओवर रन न हो | अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(vii) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा |

VII. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पी०एफ०ए०डी० की शर्तों एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन हो |

3- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 2,35,17,000/- (रूपए दो करोड़ पैंतीस लाख सत्रह हजार मात्र) को आहरित कर तत्काल जिलाधिकारी, बरेली के निर्वतन पर रखा जायेगा और यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

4- जिलाधिकारी, बरेली द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 तथा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को यथासमय आख्या उपलब्ध कराई जायेगी |

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक ''5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24 वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित प्रावधान के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://sansadhan.up.nic.in

संख्याः 39/2019/484(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

(3) मण्डलायुक्त, बरेली।

(4) जिलाधिकारी, बरेली।

(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, बरेली ।

(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ नियोजन अनुभाग-4/ राजस्व अनुभाग-13

(7) समीक्षा अधिकारी (बजट)।

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in